सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम)

रेडी रेकनर

विषय सूची

1.0	भूमिका	2
2.0	शब्द 'रुर्बन' का संदर्भ	2
3.0	'रुर्बन क्लस्टर' क्या है	3
4.0	विजन	3
5.0	मिशन के उद्देश्य	3
6.0	मिशन के परिणाम	3
7.0	क्लस्टर के चयन की पद्धति	4
8.0	मिशन के घटक	5
9.0	परियोजना का वित्तपोषण	5
10.0	समेकित क्लस्टर कार्य योजना (आईसीएपी) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	6
11.0	संस्थागत व्यवस्था	7
12.0	निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका	8
13.0	अधिकार प्राप्त समितियां	8

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)

1.0 भूमिका

1.1 ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक और वास्तविक रूप से सुदृढ़ क्षेत्र बनाने के महत्वाकांक्षी उपाय के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16.09.2015 को 5142.08 करोड़ रू. के परिव्यय से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) को अनुमोदित किया।

1.2 मिशन का उद्देश्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 'रुर्बन क्लस्टर' नामक 300 ऐसे ग्रामीण विकास क्लस्टर तैयार करना है जिनमें विकास की काफी अधिक संभावनाएं हैं और जिससे क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल एवं स्थानीय उद्यमशीलता को विकसित करके तथा अवसंरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराके इन क्लस्टरों को तैयार किया जाएगा।

2.0 शब्द 'रुर्बन' का संदर्भ

2.1 भारत की अधिकांश आबादी अभी भी गांवों में बसती है। लगभग 833 मिलियन लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जो कि कुल आबादी का लगभग 68 प्रतिशत है। इसके अलावा, 2001–2011 की अवधि के दौरान ग्रामीण आबादी में 12 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है और उसी अवधि के दौरान गांवों की कुल संख्या में 2279 की बढ़ोत्तरी हुई है।

2.2 देश में ग्रामीण क्षेत्रों का विशाल भूखंड अकेली बस्ती का हिस्सा नहीं है बल्कि वह बस्तियों के क्लस्टर का हिस्सा है, जो कि एक–दूसरे के समीप स्थित हैं। विकास की संभावना वाले इन क्लस्टरों का अपना आर्थिक महत्व है और इनके कारण उनसे स्थानीय और प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ भी मिलता है। इसलिए ऐसे क्लस्टरों के लिए ठोस नीति–निर्देश बनाकर इनका विकास करने के बाद इन्हें 'रुर्बन' के रूप में श्रेणीकृत किया जा सकता है।

2.3 इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से और अवसंरचना व्यवस्था के लाभ को इष्टतम बनाने की दृष्टि से इन क्लस्टरों का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) को अनुमोदित किया है, जिसका उद्देश्य ऐसे 'रुर्बन क्लस्टरों' को तैयार करना है।

2.4 अपेक्षित सुविधाओं के साथ ये क्लस्टर तैयार किए जाएंगे जिसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं में तालमेल के जरिए संसाधन जुटाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा इन क्लस्टरों के संकेंद्रित विकास के लिए इस मिशन के अंतर्गत क्रिटिकल गैप फंडिग (आवश्यक पूरक वित्तपोषण) भी उपलब्ध कराया जाएगा।

2.5 **सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्लस्टर राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों द्वारा विधिवत अधिसूचित किए जाने वाले आयोजना मानदंडों (जैसा कि राज्य नगर और प्रदेश आयोजना अधिनियमों/केंद्र या राज्य के इसी प्रकार के अधिनियमों में निर्धारित हैं) पर आधारित सुनियोजित लेआउट के हिसाब से बनाए गए प्लानिंग क्षेत्रों के रूप में विधिवत अधिसूचित किए जाएंगे। इन प्लानों को अंत में जिला प्लानों/मास्टर प्लानों, जैसा भी मामला हो, के साथ जोड़ दिया जाएगा।**

2.6 यहां से आगे इस मिशन को **राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम)** कहा जाएगा।

3.0 'रुर्बन क्लस्टर' क्या है

3.1 'रुर्बन क्लस्टर' मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 आबादी वाले तथा मरूभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी वाले भौगोलिक रूप से एक–दूसरे के समीप बसे गांवों का एक क्लस्टर होगा।

3.2 जहां तक व्यवहार्य हो सके, गांव का क्लस्टर ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक तालमेल की इकाई होगी और यह प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किसी एक ब्लॉक/तहसील के अधीन होगा।

4.0 विजन

'अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के क्लस्टर को 'रुर्बन गांवों' के रूप में विकसित करना है।'

5.0 मिशन के उद्देश्य

राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रुर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है।

6.0 मिशन के परिणाम

इस मिशन के अंतर्गत परिकलिपत वृहत परिणाम इस प्रकार हैं :

i. ग्रामीण शहरी अंतर अर्थात आर्थिक, प्रौद्योगिकीय एवं सुविधाओं तथा सेवाओं से जुड़े अंतर को दूर करना।

ii. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी उपशमन पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।

iii. क्षेत्र में विकास का प्रसार करना।

iv. ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना।

7.0 क्लस्टर के चयन की पद्धति

7.1 राज्य सरकार मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 और मरूभूमि, पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीपों या जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी वाली ऐसी ग्राम पंचायतों/भौगोलिक रूप से एक–दूसरे के नजदीक स्थित ग्राम पंचायतों के क्लस्टर का चयन एसपीएमआरएम क्लस्टर के रूप में करेगी और वहां मिशन मोड में इस योजना का कार्यान्वयन करेगी।

7.2 यह वांछनीय है कि राज्य सरकार ऐसी ग्राम पंचायत(तों) का निर्धारण करे, जिनमें क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से विकास केंद्र बनने की संभावनाएं हों और इससे क्षेत्र में आर्थिक बदलाव आ सके।

7.3 क्लस्टरों की दो श्रेणियां होंगी – गैर जनजातीय और जनजातीय।

गैर-जनजातीय क्लस्टरों का चयन

7.4 गैर–जनजातीय क्लस्टरों के चयन के लिए मंत्रालय प्रत्येक राज्य को उप–जिलों की सूची प्रदान करेगी जिसमें से निम्नलिखित निष्पादन मानदंडों के आधार पर क्लस्टरों का निर्धारण किया जा सकेगाः

i. दशक के दौरान ग्रामीण आबादी में वृद्धि।

ii. भूमि की कीमतों में वृद्धि।

iii. दशक के दौरान गैर–कृषि कार्यों की भागीदारी में वृद्धि।

iv. माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत।

v. प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक खातों वाले परिवारों का प्रतिशत।

vi. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में निष्पादन।

vii. ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू की गई सुशासन पहलें।

राज्य किसी भी अन्य कारक जो प्रासंगिक हो, शामिल करने हेतु विचार कर सकते हैं। हालांकि, **80% की कुल वेटेज पहले 4 मापदंडों के लिए दिया जाएगा और राज्य अंतिम तीन मापदंडों का** चयन अपने अनुसार करने के लिए 20% वेटेज दे सकते हैं।

जनजातीय क्लस्टरों का चयन

7.5 जनजातीय क्लस्टरों के निर्धारण के लिए मंत्रालय अनुसूचित जनजाति की आबादी के आधार पर देश के सर्वोच्च 100 जनजातीय जिलों में आने वाले उप–जिलों का चयन करेगा।

7.6 तत्पश्चात मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए इन उप–जिलों में से राज्य सरकारें क्लस्टरों का चयन कर सकती हैं और ऐसा करते समय निम्नलिखित निष्पादन मानदंडों को शामिल कर सकती हैं:

i. दशक के दौरान जनजातीय आबादी में हुई वृद्धि।

ii. जनजातीय साक्षरता दरों में वृद्धि।

iii. दशक के दौरान गैर–कृषि कामगारों की भागीदारी में वृद्धि।

उपर्युक्त तीन पैरामीटरों के अतिरिक्त ऐसे किसी अन्य कारक को भी शामिल किया जा सकता है, जिसे राज्य संगत समझें परंतु इन तीनों पैरामीटरों की वेटेज 80 प्रतिशत से कम न की जाए।

8.0 मिशन के घटक

8.1 एसपीएमआरएम के तहत, राज्य सरकार क्लस्टर के विकास के लिए मौजूदा केंद्र प्रायोजित, केंद्रीय क्षेत्र की या राज्य सरकार की योजनाओं का निर्धारण करेगी और उनके समेकित एवं समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए उनके बीच तालमेल बिठाएगी। रुर्बन क्लस्टर को विकास में शामिल करने के लिए 14 अभीष्ट घटकों का सुझाव दिया गया है:

(i) आर्थिक कार्यकलापों से संबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण

(ii) कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भंडारण और वेयर हाउसिंग

(iii) साजोसामान से पूरी तरह लैस मोबाइल हेल्थ यूनिट

(iv) विद्यालय/उच्चतर शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन

(v) स्वच्छता

(vi) पाइप के जरिए जलापूर्ति का प्रावधान

(vii) ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन

(viii) ग्रामीण गलियां तथा नालियां

(ix) स्ट्रीट लाइट (ग) गांवों के बीच सड़क संपर्क

(xi) सार्वजनिक परिवहन

(xii) एलपीजी गैस कनेक्शन

(xiii) डिजिटल साक्षरता (गपअ) इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने/ई–ग्राम कनेक्टिविटी के लिए सिटिजन सर्विस सेंटर।

8.2 इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार अपने विवेकानुसार किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की उन अन्य योजनाओं के साथ अतिरिक्त तालमेल की व्यवस्था कर सकती है, जो उपर्युक्त अनिवार्य घटकों में शामिल नहीं हैं। तालमेल संबंधी इस व्यवस्था को ग्राम पंचायतों से विधिवत परामर्श के बाद निर्धारित किया जा सकता है और इस व्यवस्था का उद्देश्य एसपीएमआरएम क्लस्टर की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना होना चाहिए, ताकि इसकी संपूर्ण आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।

9.0 परियोजना का वित्तपोषण

9.1 क्लस्टर के लिए राज्यों द्वारा तैयार की गई और अधिकार–प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई समेकित क्लस्टर कार्य योजना के माध्यम से निर्धारित की गई जरूरतों के आधार पर ही क्लस्टर की लागत तय की जाएगी।

9.2 विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और राज्य योजनाओं में तालमेल के माध्यम से जुटाई गई निधियों को पूरा करने के लिए परियोजना लागत की अधिकतम 30 प्रतिशत राशि आवश्यक पूरक वित्तपोषण (सीजीएफ) के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

9.3 मैदानी क्षेत्रों के लिए आवश्यक पूरक वित्तपोषण परियोजना पूंजीगत व्यय का 30% या 30 करोड़ रू., इनमें से जो भी

कम हो, निर्धारित किया जाएगा। मरूभूमि, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में आवश्यक पूरक वित्तपोषण परियोजना पूंजीगत व्यय का 30% या 15 करोड़ रू., इनमें से जो भी कम हो, निर्धारित किया जाएगा।

9.4 2015–16 से 2019–20 तक के लिए इस योजना हेतु 5142.08 करोड़ रू. का परिव्यय आवंटित किया गया है।

10.0 समेकित क्लस्टर कार्ययोजना (आईसीएपी) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

समेकित क्लस्टर कार्ययोजना

10.1 समेकित क्लस्टर कार्ययोजना (आईसीएपी) एक ऐसा मुख्य दस्तावेज होगा जिसमें क्लस्टर की जरूरतों का उल्लेख करने वाले बेसलाइन अध्ययनों और इन जरूरतों को पूरा करने तथा क्लस्टर की क्षमता को बढ़ाने वाली प्रमुख पहलों को शामिल किया जाएगा।

10.2 राज्य सरकार जिला कलक्टरों/जिला परिषदों और संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के साथ गहन परामर्श करके आईसीएपी तैयार करेगी और इसमें सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों की भागीदारी और उनका स्वामित्व सुनिश्चित करेगी।

10.3 क्लस्टर के लिए तैयार की गई आईसीएपी में निम्न का उल्लेख होगा :

i. क्लस्टर में निर्धारित की गई प्रत्येक ग्राम सभा के लिए विजन को समाहित करते हुए क्लस्टर की कार्यनीति।

ii. राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) के तहत क्लस्टर के लिए वांछित घटक।

iii. विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय प्रायोजित और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के तहत तालमेल किए जाने वाले संसाधन।

iv. क्लस्टर के लिए अपेक्षित आवश्यक पूरक वित्तपोषण।

v. सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आईसीएपी में संपूर्ण क्लस्टर के लिए एक विस्तृत स्थानिक योजना तैयार की जाएगी। इन योजनाओं में क्लस्टर क्षेत्रों का भलीभांति वर्णन किया जाएगा और ये क्लस्टर राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों द्वारा विधिवत अधिसूचित किए जाने वाले आयोजना मानदंडों (जैसा कि राज्य नगर और प्रदेश आयोजना अधिनियमों/केंद्र या राज्य के इसी प्रकार के अधिनियमों में निर्धारित हैं) पर आधारित सुनियोजित लेआउट के हिसाब से बनाए गए सुव्यवस्थित क्षेत्र होंगे। इन योजनाओं को अंत में जिला प्लानों/मास्टर प्लानों, जैसा भी मामला हो, के साथ जोड़ दिया जाएगा।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किया जाना

10.4 आईसीएपी तैयार किए जाने और रुर्बन क्लस्टरों के लिए घटकों का निर्धारण कर लिए जाने के बाद राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) के अंतर्गत क्रियान्वयन के

लिए निर्धारित परियोजना घटकों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार की जाएंगी। डीपीआर, जो कि 'निष्पादन के लिए अच्छा' दस्तावेज होगा, में आईसीएपी के अंतर्गत क्लस्टरों में चुने गए घटकों के लिए संबंद्ध योजना दिशा–निर्देशों की जरूरतों और मानदंडों के अनुसार परियोजना घटक की लागत और डिजाइन का विस्तृत ब्यौरा होगा।

11.0 संस्थागत व्यवस्थाएं

राष्ट्रीय स्तर

11.1 केंद्रीय स्तर पर एनआरयूएम का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय में राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) के प्रभारी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय **मिशन निदेशालय** द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (एनएमएमयू) मिशन निदेशालय की सहायता करेगी।

राज्य स्तर

11.2 राज्य स्तर पर, अधिमानतः राज्य ग्रामीण विकास विभाग और/या पंचायती राज विभाग, जैसा भी मामला हो के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एनआरयूएम) के प्रयोजनार्थ ग्रामीण विकास विभाग या किसी एजेंसी या राज्य सरकार द्वारा नामित किसी भी विभाग को **राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए)** के रूप में पदनामित किया जाएगा। विभाग/एसएनए में गठित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) विभाग/एसएनए की मदद करेगा।

11.3 इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य तकनीकी सहायता एजेंसियों (एसटीएसए) को भी नामित करेगा। राज्य तकनीकी सहायता एजेंसियां (एसटीएसए) इस मंत्रालय द्वारा सूची में डाले गए और राज्यों द्वारा तैनात किए गए प्रतिष्ठित संस्थाएं होंगी जो आईसीएपी तैयार करने में राज्य नोडल एजेंसियों की मदद करेंगी और इन प्रक्रियाओं में राज्यों की हरसंभव सहायता करेंगी।

जिला स्तर

11.4 कम से कम तीन पेशेवरों i. क्षेत्रीय आयोजना विशेषज्ञ, ii. अभिसरण संबंधी विशेषज्ञ, और iii. ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन विशेषज्ञ को मिलाकर जिला कलेक्टर के कार्यालय में **जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)** स्थापित की जाएगी। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई जिला कलेक्टर को रिपोर्ट करेगी। क्रियान्वयन से जुड़े विभागों/एजेंसियों के साथ सहयोग करने की जिम्मेवारी इसी इकाई की होगी जिससे कि प्लानिंग क्षेत्रों और संबंधित स्थानिक आयोजना मामलों की अधिसूचना जारी किया जाना सुनिश्चित हो सके तथा आईसीएपी में प्लान की गई योजनाओं में समेकित और समयबद्ध तरीके से तालमेल बिठाया जा सके। ये जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयां राज्य परियोजना मिशन इकाई की सहायता से भी कार्य करेंगी।

क्लस्टर स्तर

11.5 क्लस्टर स्तर पर, प्रत्येक रुर्बन क्लस्टर के लिए कम से कम दो पेशेवरों i. स्थानिक आयोजना पेशेवर और ii. ग्रामीण प्रबंधन/विकास पेशेवर को मिलाकर एक क्लस्टर विकास एवं प्रबंधन इकाई (सीडीएमयू) बनाई जाएगी। यह इकाई

क्लस्टर के लिए आईसीएपी तैयार किए जाने और स्थानिक आयोजना पहलुओं की कड़ी निगरानी करेगी और साथ ही क्लस्टर में कार्यकलापों की प्रगति की गहन निगरानी करेगी और डीपीएमयू/एसपीएमयू को नियमित रूप से अपडेट मुहैया कराएगी।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

11.6 राज्य नोडल एजेंसी क्लस्टरों में किए जाने वाले एनआरयूएम कार्यकलापों के संबंध में जिला, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत पंचायती राज संस्थाओं के साथ परामर्श करेगी। सभी भागीदार ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाएं इस मिशन को ग्राम सभा और पंचायत समिति संकल्पों के जरिए अपनाएंगी। परियोजना अवधि के दौरान आयोजना, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन से लेकर सृजित परिसंपत्तियों के रख–रखाव तक परियोजना चक्र के सभी चरणों में पीआरआई सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

12.0 निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका

रुर्बन परियोजना प्रारम्भ होने के पश्चात, राज्य सरकार स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे सांसद, विधायक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करेंगी।

13.0 अधिकार प्राप्त समितियां

राष्ट्रीय स्तर

13.1 **सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अधिकार–प्राप्त समिति (ईसी)** का गठन राष्ट्रीय मिशन निदेशालय में किया जाएगा जो राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई आईसीएपी को अनुमोदित करेगी और क्लस्टर के लिए सीजीएफ को अनुमोदित करेगी तथा इस योजना के सफल क्रियान्वयन को सरल बनाने के लिए अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्णय एवं उपाय करेगी।

विशेषज्ञ समूह : ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मिलाकर एक विशेषज्ञ समूह को नियुक्त करेगा जो अधिकार–प्राप्त समिति को आईसीएपी के संबंध में सिफारिश करेगा और नीति तैयार करने के संबंध में मंत्रालय को समय–समय पर जानकारी उपलब्ध कराएगा।

राज्य स्तर

13.2 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई **राज्य–स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति (एसएलईसी)** आईसीएपी और डीपीआर को मिशन निदेशालय में भेजे जाने से पूर्व इनकी सिफारिश/अनुमोदन करेगी और साथ ही योजना के क्रियान्वयन और प्रभावी समन्वयन के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जिम्मेवारी इसी समिति की होगी।

जिला स्तर

13.3 संबंधित लाइन विभागों के अधिकारियों तथा संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों को मिलाकर **जिला–स्तरीय समिति** गठित की जाएगी।

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार